पैरालीगल वालेन्टियर्स

भारतीय संविधान में एक लोक कल्याणकारी राज्य की परिकल्पना की गई। इसका आशय राज्य के सभी क्रियाकलापों का आधार लोक कल्याण, सामाजिक न्याय और जनहित होगा। राज्य के द्वारा किये जा रहे लोक कल्याणकारी कार्यों, लागू की जा रही व बनाई जा रही योजनाओं का आम जनता को अधिकतम लाभ तभी प्राप्त हो सकता है जब इन योजनाओं व कार्यक्रमों के क्रियान्वयन में समाज की सक्रिय भागीदारी हो। परंतु भारत में अशिक्षा, गरीबी, बढ़ती जनसंख्या और बेरोजगारी में सक्रियता, जनसहभागिता का ग्राफ नीचे कर दिया है। न्याय प्राप्ति के संदर्भ में यह परिकल्पना की गई है कि निर्धनता, आर्थिक या अन्य निर्योग्यता, अशिक्षा व अवसरों की असामानता के कारण कोई भी व्यक्ति न्याय के समाज अवसर से वंचित नहीं रहना चाहिए। सभी को समान रूप से न्याय प्राप्त हो सके इसी संवैधानिक अवधारणा की पूर्ति हेतु विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 अधिनियमित किया गया। न्यायपालिका के साथ–साथ अधिनियम में ऐसी व्यवस्था की गई है कि विधिक सेवा कार्यक्रमों एवं योजनाओं के क्रियान्वयन में समाज के सभी वर्गों की समान रूप से भागीदारी हो।

विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम की धारा 8 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए अपने कर्त्तव्यों के निर्वहन के लिए राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण अन्य सहकारी अभिकरणों, गैर सरकारी स्वैच्छिक संस्था, विश्व विद्यालयों और निर्धन वर्ग के लिए बिधिक सेवा के उद्देश्य संवर्धन कार्य में लगे हुए अन्य निकायों के साथ समन्वय से समुचित रूप से कार्य करेगा और ऐसा निर्देशों से मार्गदर्शित होगा जो प्राधिकरण द्वारा दिया जाये। इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए प्रशासन, पुलिस, अभिभाषकगण, सामाजिक कार्यकर्ताओं, स्वयंसेवी संस्थाओं, विधि विशेषज्ञों, महिलाओं, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति वर्ग की विधिक सेवा कार्यक्रमों एवं योजनाओं के क्रियान्वयन में भागीदारी सुनिश्चित की गई है।

भारत की अधिकांश जनसंख्या ग्रामों में निवास करती है, उनमें गरीबी व अशिक्षा का प्रतिशत अधिक है इसीलिए राज्य की कल्याणकारी योजनाओं, कानूनों विधिक सेवा योजना एवं कार्यक्रमों, उनके अधिकारों एवं कर्तव्यों की जानकारी ग्रामीणजन तक सरल भाषा एवं उनके द्वारा समझी जाने वाली भाषा में पहुंचाने के लिए एक ऐसे माध्यम की आवश्यकता महसूस की गई जो ग्रामीण जन के हृदय तक पहुंचकर उनकी सेवा कर सके। इसी आवश्यकता से प्रादुर्भाव हुआ "पैरालीगल वालेन्टियर्स" की अवधारणा का।

पैरालीगल वालेन्टियर्स की नियुक्ति में ऐसे व्यक्तियों को प्राथमिकता दी गई है जो विख्यात सामाजिक कार्यकर्ता है और समाज के कमजोर वर्ग के व्यक्तियों के उत्थान हेतु कार्य कर रहे हैं। प्रतिष्ठित व्यक्ति जो विधिक सेवा कार्यक्रमों एवं योजनाओं के क्रियान्वयन में रूचि रखता हो, सेवानिवृति अधिकारी, कर्मचारी, शिक्षक एवं अन्य जो समाजसेवा में रूचि रखते हों। उक्त अर्हतायें रखने वाले बिना किसी स्वार्थ के निःस्वार्थ भाव से पैरालीगल वालेन्टियर के रूप में कार्य करने के लिए तत्पर हों, उनके पैरालीगल वालेन्टियर्स के चयन में प्राथमिकता दी जाती है और इसी आधार पर वालेन्टियर्स के रूप में उनकी नियुक्ति की जाती है।

पैरालीगल वालेन्टियर कौन हो सकता है :—

1. एडवोकेट, शासकीय व अशासकीय विद्यालय व महाविद्यालयों के शिक्षक एवं व्याख्याता या अध्यापकगण।
2. आंगनबाड़ी कार्यकर्ता।
3. शासकीय/अशासकीय (प्रायवेट) चिकित्सक एवं अन्य कार्यरत् या रिटायर्ड शासकीय कर्मचारीगण।
4. राज्य एवं केन्द्रीय शासन के विभिन्न विभागों और एजेंसियों के क्षेत्रीय/फील्ड अधिकारीगण।
5. विधि छात्र, शिक्षा, समाजसेवी।
6. अशासकीय संस्थाओं/क्लब के सदस्यगण।
7. महिला संगठनों के सदस्यगण।

8. केन्द्रीय/जिला जेल में लम्बी अवधि के लिए दण्डित शिक्षित बंदीगण।
9. सामाजिक कार्यकर्ता एवं वालेन्टियर्स, पंचायत राज और नगर पालिका/निगम संस्थाओं के स्वैच्छिक कार्यकर्तागण।
10. सहकारी समितियों के सदस्यगण।
11. ट्रेड यूनियन के सदस्यगण।
12. ऐसे अन्य व्यक्ति जो जिला विधिक सेवा प्राधिकरण या तहसील विधिक सेवा समितियों द्वारा पैरालीगल वालेन्टियर्स के रूप में पहचाने/चयनित किये जायें।

पैरालीगल वालेन्टियर्स की अयोग्यता एवं उन्हें पदच्युत/हटाया जाना –

1. विधिक सेवा योजनाओं के क्रियान्यन में कम सहयोग देना/कम रूचि रखना।
2. दिवालिया होना।
3. किसी अपराध का अभियुक्त होना।
4. पैरालीगत वालेन्टियर्स के रूप में कार्य करने के लिए शारीरिक या मानसिक रूप से असमर्थ हो जाना।
5. राजनैतिक पार्टियों से संबंध हो।
6. अपनी स्थिति का इस प्रकार दुरूपयोग कर चुका हो कि उसका पैरालीगल वालेन्टियर के रूप में कार्य करना लोकहित में प्रतिकूल प्रभाव डालने वाला हो।

पैरालीगल वालेन्टियर्स के कर्तव्य :–

1. पैरालीगल वालेन्टिर अपने गांव मोहल्ले एवं आस–पास के नागरिकों को सम्मानित जीवन व्यतीत करने के लिए उनके अधिकार एवं संवैधानिक अधिकार और उनके कर्तव्यों के बारे में जानकारी देकर या शिक्षित कर जागरूक करेगा।
2. पैरालीगल वालेन्टियर नागरिकों को विवादों/समस्याओं की प्रकृति के संबंध में जागरूक कर उन्हें विधिक सेवा प्राधिकरणों के माध्यम

से अपने प्रकरणों को/विवादों को निराकरण हेतु संपर्क करने हेतु प्रोत्साहित/जागरूक करेगा।

3. पैरालीगल वालेन्टियर अपने कार्य क्षेत्र में विधि के नियमों को भंग करने वाले या अन्याय करने वाले व्यक्तियों के बिरूद्ध, संबंधित जिला विधिक सेवा प्राधिकरण या तहसील विधिक सेवा समितियों को दूरभाष पर या लिखित सूचना या ऐसे व्यक्ति के माध्यम से जो प्रतिकार करने वाला हो, तुरंत कार्यवाही करने हेतु सूचित करेगा।

4. पैरालीगल वालेन्टियर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण/तहसील विधिक सेवा समितियों में विधिक जागरूकता शिविर आयोजित करने में सहयोग देगा।

5. पैरालीगल वालेन्टियर आम नागरिकों को राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण/जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, तहसील विधिक सेवा समिति/उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति एवं उच्चतम न्यायालय विधिक सेवा समिति द्वारा किए जा रहे विधिक सेवा कार्यकलापों की और उक्त संस्थाओं के पतों की जानकारी देने के लिए पात्र व्यक्तियों को निःशुल्क विधिक सेवाओं का लाभ प्राप्त करने हेतु जागरूक करेगा।

6. पैरालीगल वालेन्टियर लोक अदालत, समझौता, मध्यस्थता एवं अर्बिट्रेशन के माध्यम से अपने विवादों को निपटाने के लिए आम नागरिकों को जागरूक/प्रोत्साहित करेगा।

7. पैरालीगल वालेन्टियर प्रिलिटिगेशन विवादों को बिना व्यय के (बिना कोर्ट फीस आदि खर्च किए) जिला विधिक सेवा प्राधिकरण/तहसील विधिक सेवा समितियों के माध्यम से निपटाने के लिए प्रचार–प्रसार करेगा।

8. पैरालीगल वालेन्टियर आम नागरिकों को यह जानकारी देकर जागरूक करेगा कि न्यायालय में विचाराधीन प्रकरणों को लोक अदालत के माध्यम से समझौते के आधार पर निपटा लिये जाने पर उन प्रकरणों में पूर्व में जमा की गई कोर्ट फीस वापिस पाने के

हकदार है तथा लोक अदालत में निर्णित प्रकरणों की कोई अपील आदि नहीं होती है।

9. पैरालीगल वालेन्टियर आम नागरिकों को, लोकोपयोगी सेवा जैसे:– यातायात सेवा, डाक–तार या टेलीफोन सेवा, विद्युत, प्रकाश या जल का प्रदाय, स्वच्छता संबंधी सेवा, अस्पताल या औषधालय या बीमा संबंधी सेवाओं से संबंधित विवादों को स्थायी लोक अदालत के माध्यम से बिना खर्चे के निपटाया जा सकता है, जागरूक करेगा।

10. पैरालीगल वालेन्टियर विधिक सेवा योजनाओं से संबंधित तथा शासन द्वारा आम नागरिकों के कल्याण के लिए चलाई जा रही कल्याणकारी योजनाओं एवं कार्यक्रमों के संबंध में जानकारी देगा एवं वृहद् प्रचार प्रसार हेतु प्रचार सामग्री का प्रदर्शन महत्वपूर्ण प्रसिद्ध लोक स्थानों पर करेगा।

11. पैरालीगल वालेन्टियर संबंधित जिला विधिक सेवा प्राधिकरण/तहसील विधिक सेवा समिति के अध्यक्ष के निर्देशन एवं पर्यवेक्षण के अधीन कार्य करेगा तथा अपने कार्यकलापों का मासिक प्रतिवेदन या रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा।

12. पैरालीगल वालेन्टियर अपने क्षेत्र में स्थापित कानूनी सेवा क्लीनिक (लीगल एड क्लीनिक) के प्रभावी कार्य संपादन में सक्रिय सहयोग देगा।

पैरालीगल वालेन्टियर द्वारा विधिक सेवायें प्रदत्त करने के दौरान बस/रेल किराया, पोस्टेज स्टेम्प, टेलीफोन, लेखन सामग्री आदि पर हुए व्यय की प्रतिपूर्ति, उसके द्वारा देयक/रसीद प्रस्तुत करने पर संबंधित विधिक सेवा संस्था द्वारा की जावेगी।

———